न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

रसद विविध :: 18/2015 ::

जीसीएमएस नं. :: 2015/00129

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थी:—

सरकार जरिए अति. पुलिस अधीक्षक वृताधिकारी वृत पाली

1. मोहम्मद समीद खान पुत्र अब्दुल मजीद खान जाति पठान मुसलमान निवासी देवा का पुरवा मौजा सुरौली थाना गोसाईगंज जिला सुल्तानपुर (यु.पी.) टेंकर जी.जे. 15 वाईवाई 7299 का चालक
2. लक्ष्मण मोर्य पुत्र बेजनाथ जाति मोर्य उम्र 19 साल निवासी बडे गॉव मौजा सुरौली थाना गोसाईगंज जिला सुल्तानपुर (यु.पी.) टेंकर जी.जे. 15 वाईवाई 7299 का खलासी
3. खान अकमील पुत्र मोहम्मद इसाद खां जाति पठान मुसलमान उम्र 31 साल निवासी सईतपुर थाना गोसाईगंज जिला सुल्तानपुर यू.पी. हाल निवासी 406 पटेल नगर राज पीपला रोड थाना जीआईडीसी अंकलेश्वर जिला भरूच (गुजरात) टेंकर जी.जे. 15 वाईवाई 7299 का वर्तमान मालिक व डीजल खरीददार
4. श्री कालुसिंह उर्फ पेपसिंह पुत्र श्री गोमसिंह जाति राजपुत उम्र 40 साल निवासी धान्धिया थाना लुणी जिला जोधपुर। अवैध डीजल भरवाने वाला।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक 01.02.2021

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से पट्रोलियम उत्पाद का परिवहन एवं संग्रहण करने के फलस्वरूप Motor Sprit & High Speed Diesel (Regulation of Supply Distribution and Prevention of Mal-practices) Order 2005 की धारा 4, 5, 6, 7) 3 (1)(4)(5), 4 का उल्लंघन करने के कारण जब्त सुदा पेट्रोलियम पदार्थ डीजल मय टेंकर संख्या जी.जे. 15 वाईवाई 7299 को राज्यसात करने हेतु पेश किया गया है। जिस बाबत दिनाँक 21.11.2017 को निर्णय पारित किया गया था जिसे माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा वाहन टेंकर के राज्यसात करने के आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण धारा 6 ए के प्रावधानों में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वाहन को राज्यसात करने के स्थान पर जुर्माना अधिरोपित करने के बिन्दु सहित समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए पुनः आदेश पारित किया जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया था। प्रकरण में बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि मुखबीर की इतला पर थानाधिकारी रोहट दौरान नाकाबंदी एन.एच. 62 जोधपुर पाली हाईवे पर रामदेव जलवानिया आर.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली भी थानाधिकारी रोहट के टेलीफोन करने पर मय सरकारी वाहन चालक नवरत्न बेल्ट नम्बर 25 के पहुँचे। दौराने नाकाबन्दी टेंकर नम्बर जी.जे. 15 वाईवाई 7299 रूकवाकर पुलिस निगरानी में खड़ा करवाया। इस दौरान प्रर्वतन अधिकारी श्री ओ.पी. हर्ष रसद विभाग पाली भी मौके पर दी गई इतला एवं जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार पहुँचे। थानाधिकारी देवेन्द्रसिंह कविया ने मन वृताधिकारी को बताया कि जब्तसुदा टेंकर में केमिकल की आड़ में पेट्रोलियम डीजल भरे होने की विश्वसनीय इतला है। जिस पर फर्म एस. रामरत्न पेट्रोल पम्प के दो सेल्समेन त्रिलोक राम पुत्र श्री [illegible] राम जाट निवासी सालोड़ी, जोधपुर एवं हिन्दुराम पुत्र श्री गोरखराम जाति देवासी निवासी राईकों का बास रोहट को स्वतन्त्र मौतबीर रहने हेतु बुलाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जब्तसुदा टेंकर का वाहन चालक व अप्रार्थी संख्या 2 खलासी होना बताया तथा टेंकर में भरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:10 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश पृष्ठ :: 2

जिला कलेक्टर, पाली

तरल पदार्थ के बारे में पुछने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पास से श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम के चालान नम्बर 2927 इनवाईस नम्बर 2927 व फॉर्म नम्बर 403 पेश किया एवं टेंकर में भरे हुए तरल पदार्थ को कलर रिड्यूशर बताते हुए गुजरात ले जाना बताया। जब उसे तसल्ली देकर विश्वास में लिया जाकर पुछने पर उसने जब्तसुदा टेंकर में केमीकल के नाम अवैध डीजल कांकाणी जोधपुर से भरकर गुजरात ले जाना बताया। चालक को डीजल के परिवहन बाबत कोई लाईसेन्स या परमिट होने का पुछा तो उसने अपने पास कोई वैध लाईसेन्स या परमिट नहीं होना बताया। जिस पर प्रार्थी द्वारा टेंकर संख्या जी.जे. 15 वाईवाई 7299 सहित उसमें भरे हुए तरल पदार्थ 20,000 लीटर को भी जब्त कर लिया एवं टेंकर के चार कम्पार्टमेंट थे जिनके लॉक व वॉल्व पर सिल लगी हुई थी। उनको तोड़कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सामने टेंकर में भरे हुए तरल पदार्थ का पास ही स्थित फर्म एस.रामरतन पेट्रोलपम्प से डेन्सिटी टेस्टिंग किट मंगवाकर उपस्थित प्रर्वतन अधिकारी श्री ओ.पी. हर्ष द्वारा जांच की गई, उनके द्वारा घनत्व निकालकर घनत्व चार्ट से गणना कर टेंकर में भरे हुए तरल पदार्थ को देखकर सुंघकर एवं घनत्व चार्ट के अनुसार डीजल होना बताया। टेंकर के चारों चेम्बर से नमुना सेम्पल लिए गए एवं रसायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाए गए जो बाद जांच एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें सभी सेम्पल पेकेट्स में लिया गया पदार्थ के डीजल होने की पुष्टि की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बिना वैध लाईसेन्स या परमिट के पेट्रोलियम पदार्थ डीजल का अवैध परिवहन करना। मालप्रेक्टीस ऑर्डर 2005 का उल्लंघन व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के खिलाफ पाया जाने से कब्जा पुलिस लेकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के पेश किया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जब्तसुदा टेंकर में कलर रिड्यूशर नहीं होकर डीजल था एवं अप्रार्थी कलर रिड्यूशर के चालान व इनवॉइस पर अवैध डीजल का परिवहन कर रहे थे। अप्रार्थी संख्या 3 टेंकर का वर्तमान मालिक व डीजल खरीददार है व अप्रार्थी संख्या 4 अवैध भरवाने वाला है। टेंकर मे जब्तसुदा तरल पदार्थ एफ.एस.एल. रिपोर्ट में डीजल होने एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अवैध रूप से परिवहन किया जाना सिद्ध है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से पट्रोलियम उत्पाद का परिवहन एवं संग्रहण करने के फलस्वरूप Motor Sprit & High Speed Diesel (Regulation of Supply Distribution and Prevntion of Mal-practices) Order 2005 की धारा 4, 5, 6, 7) 3 (1)(4)(5), 4 का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट है। जिससे जब्तसुदा टेंकर एवं उसमें भरा हुआ तरल पदार्थ राज्यसात करने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 टेंकर नम्बर जी.जे. 15 वाईवाई 7299 में मुताबिक ऑर्डर श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एच 1-64 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया जोधपुर से जरिये इनवॉइस नम्बर 3927 दिनांक 16.03.2015 को कलर रिड्यूशर (केमीकल) जिसकी तादाद 20 हजार लीटर भरकर जोधपुर से भारत ट्रेडिंग कम्पनी चतुर्थ फेज वापी गुजरात ले जा रहा था। जो पुलिस थाना रोहट द्वारा शक के आधार पर जब्त कर दिया। पुलिस को टेंकर ड्राइवर द्वारा चालान व इनवॉइस की प्रतियां दिखाने के बावजूद भी जानबुझ कर हैरान परेशान करने की नियत से टेंकर को रोककर जब्त कर लिया। इस प्रकार पुलिस ने झुठा मुकदमा बनाया है। जिससे कार्यवाही निरस्त फरमावें। अप्रार्थीगण ने विधिवत परिवहन करने के तरीके से बिल बिल्टी साथ लेकर परिवहन किया था। प्रार्थना पत्र निरस्त करवाते हुए जब्त सुदा टेंकर एवं जब्तसुदा माल रिलीज कराने के आदेश करावें।

हस्तगत प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय पाली द्वारा वाहन को राज्यसात करने के स्थान पर विकल्प स्वरूप जुर्माना आरोपित करने के प्रावधान है। वाहन को राज्यसात करने के आदेश को [illegible] न राज्यसात करने के स्थान पर जुर्माना आरोपित करने के बिन्दु पर [illegible] से विचारार्थ प्रतिप्रेषित की गई है। इसलिए उभयपक्ष को [illegible] का अवलोकन किया गया। जैर प्रार्थना पत्र जब्त [illegible] रल पदार्थ मौके पर प्रर्वतन अधिकारी श्री ओ.पी.हर्ष द्वारा डेन्सीटी टेस्टिंग किट [illegible] की गई जांच एवं एफएस.एल. रिपोर्ट के अनुसार डीजल होना सिद्ध हो चुका है। जो कलर रिड्यूसर के चालान नम्बर 3927 एवं इनवाईस नम्बर 3927 फॉर्म नम्बर 403 फर्म श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से अवैध तरीके से जोधपुर से परिवहन कर वापी, गुजरात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 लेकर जा रहे थे,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश पृष्ठ :: 3

जो स्पष्ट रूप से अवैध रूप से पट्रोलियम उत्पाद का परिवहन एवं संग्रहण करने के फलस्वरूप Motor Sprit & High Speed Diesel (Regulation of Supply Distribution and Prevntion of Mal-practices) Order 2005 की धारा 4, 5, 6, 7) 3 (1)(4)(5), 4 का उल्लंघन है। इस संबंध में एफ.आई.आर. नम्बर 61 दिनांक 18.03.2015 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंधित थाने में दर्ज की गई है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा टेंकर संख्या जी.जे. 15 वाईवाई 7299 एवं भरे हुए तरल पदार्थ डीजल को राज्यसात (Consfiscate) किया जाना न्यायोचित पाते है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या रसद विविध 32/2015 अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 13.08.2015 की पालना में जब्तसुदा तरल पदार्थ डिजल 2000 लीटर कीमत बिल अनुसार राशि 6,30,000/- रूपये (अक्षरे छः लाख तीस हजार रूपये) अमानतमद के जमा किए जाने के आदेश दिए गए थे। उक्त राशि को राज्यसात करने के आदेश दिए जाते है। जब्तसुदा राशि 6,30,000/- रूपये (अक्षरे छः लाख तीस हजार) रूपये राजकोष में जमा कराये जावे। वाहन संख्या जीजे 15 वाई वाई 7299 जो उक्त तरल पदार्थ डीजल के अवैध परिवहन में उपयोग लिया गया था तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के प्रावधान है। चूँकि इस प्रकरण में स्पष्ट है कि अवैध रूप में पेट्रोलियम का परिवहन किया जा रहा था जिसका मूल्य अप्रार्थी से प्राप्त बिल अनुसार 6,30,000/- रूपये (अक्षरे छः लाख तीस हजार रूपये मात्र) होने से उसके बराबर राशि 6,30,000/-रूपये (अक्षरे छः लाख तीस हजार रूपये मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अगर अप्रार्थीगण उक्त राशि -- माह में अदा जमा राजकोष कराने में असफल रहते है तो जब्तसुदा टेंकर संख्या जीजे 15 वाईवाई 7299 को सुपुर्ददार अकलीम उर्फ अकलीम मोहम्मद खान पुत्र हरसाद खान जाति मुसलमान निवासी 12 पटेल नगर गढसोल 11 अंकलेश्वर तहसील एवं जिला भरूच गुजरात से प्राप्त कर उसे निलाम कर निलामी से प्राप्त राशि से जुर्माना राशि वसूल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:10 IST
Reason: SelfAttested